न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 32/2017

अपीलांट

वरदाराम पुत्र पीराजी उम्र 69 वर्ष जाति भील निवासी छीपरवाडा तहसील आहोर जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

झालाराम पुत्र ठमाराम जाति भील निवासी बागरा तहसील जालोर जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर आहोर द्वारा दावा संख्या 84/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा छीपरवाडा तहसील आहोर जिला जालोर के पुराने खसरा नंबर 93/2 रकबा 15 बीघा वर्तमान खसरा नंबर 124 रकबा 2.42 हैक्टयर के संबध में खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद का आधार यह था कि वादग्रस्त आराजी कस्तुरा पुत्र वलीया के संवत 2028 से 2031 मे खातेदारी दर्ज है। वलीया की मृत्यु होने के पश्चात उसकी एक मात्र जीवित वारिस उसकी पत्नी चम्पा भील थी, जो अपीलांट की सगी बहन थी। जो कि अपीलांट के साथ ही रहती थी एवं उसका भरण पोषण अपीलांट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

बहनोई की मृत्यु के पश्चात अपीलांट ने ही किया। अपीलांट की सेवा से प्रसन्न होकर चम्पा ने उक्त आराजी अपीलांट को वसीयत कर दी एवं तब से आदिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना तनकीयात कायम किये लोक अदालत कैम्प में जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई बाबत रिमांड फरमाई जावे।

वकील अपीलांट की एकपक्षीय की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा छीपरवाडा तहसील आहोर जिला जालोर के पुराने खसरा नंबर 93/2 रकबा 15 बीघा वर्तमान खसरा नंबर 124 रकबा 2.42 हैक्टयर के संबध में खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प में पारित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर आहोर द्वारा दावा संख्या 84/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर